

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Chief Whip and the Deputy Chief Whip are responsible for administering the whip system that ensures the members to attend the meetings of the House of Legislature. These Whips perform some very important duties concerning the mapping, monitoring and management of Government business in the House. Another important function of the said Whips is to constantly feel the pulse of the House and apprise the leader of the House about the happening in the House. The Chief Whip and the Deputy Chief Whip keep in close touch with the Whips of the other parties also on the matters concerning the business in the House.

In view of the multifarious functions being performed by the Chief Whip and the Deputy Chief Whip, there is a proposal to enact a law to regulate their salaries and allowances and other benefits as presently there is no law in this regard.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR)

Chief Minister.

SHIMLA:

The _____, 2018.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 3 अप्रैल, 2018

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-38/2018.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक-3) जो आज दिनांक 3 अप्रैल, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/—
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2018 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. वृहत् नाम का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है), के वृहत् नाम में, "और अपार्टमेंटों के निर्माण, विक्रय, अन्तरण और प्रबन्धन का विनियमन करने, कालोनियों को विनियमित करने तथा संप्रवर्तकों और संपदा अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण करने और उन पर बाध्यताओं का प्रवर्तन कराने" शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा।

3. धारा 1 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 1 की विद्यमान उप-धारा (3क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3क). यह, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित योजना क्षेत्रों या गठित विशेष क्षेत्रों से बाहर विक्रय के प्रयोजन के लिए प्लॉट बनाने या अपार्टमेंट या किसी भवन या भवनों, जिनमें आठ से अधिक अपार्टमेंट हों, के लिए प्लॉट बनाने और सन्निर्माण करने के लिए 2500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र पर विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भू-सम्पदा परियोजना को लागू होगा और ऐसे क्षेत्र योजना क्षेत्र समझे जाएंगे।"

4. धारा 2 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ग) में, "तथापि, अपार्टमेंट भवन से, किसी भूमि पर निर्मित भवन अभिप्रेत होगा, जिसमें आठ से अधिक अपार्टमेंट हों या दो या अधिक भवन हों, जिनमें आठ से अधिक अपार्टमेंट हों अथवा कोई विद्यमान भवन, जिसे आठ से अधिक अपार्टमेंटों में संपरिवर्तित किया गया है" शब्दों और चिन्हों का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ट क) "स्थानीय प्राधिकरण" से, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित नगर निगम या नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 3 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाएं या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छावनी बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;";

(ग) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ड क) "प्राकृतिक परिसंकट" से, किसी प्रदत्त क्षेत्र में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, सम्भवतः प्राकृतिक दृश्यमान को नुकसान पहुंचाने वाली घटना की संभावना अभिप्रेत है;

(ड क क) "प्राकृतिक परिसंकटोन्मुखी क्षेत्रों" से, ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिनमें,—

- (i) भूकम्प के, मध्यम से बहुत उच्च नुकसान जोखिम वाले क्षेत्र; या
- (ii) अद्वोधक बहाव अथवा बाढ़; या

(iii) भू-स्खलन की सम्भावना अथवा प्रवणता; या

(iv) इन परिसंकटों में से किसी एक की या अधिक परिसंकटों की, सम्भावना है;”;

(घ) खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ढ क) “व्यक्ति” के अन्तर्गत कोई कम्पनी, फर्म, सहकारी सोसाइटी, संयुक्त परिवार और व्यक्तियों का निगमित निकाय है;”;

(ङ) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ण क) “विहित” से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;”;

(च) खण्ड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(थ क) “रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट वृत्तिक” से, सक्षम प्राधिकरण के साथ, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्ट्रीकृत कोई वृत्तिक अभिप्रेत है;” ; और

(छ) खण्ड (भ) से (यफ) का लोप किया जाएगा।

5. धारा 30 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(3) भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के खण्ड (य ट) के अधीन यथा परिभाषित प्रत्येक संप्रवर्तक, सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी को, भू-सम्पदा परियोजनाओं और उसकी योजनाओं (प्लानज) की मंजूरी के लिए, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस सहित, जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा।”।

6. धारा 77 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 77 की उप-धारा (1) में “ऐसे अधिकारी” शब्दों के पश्चात् “,रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट वृत्तिक” चिन्ह और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. अध्याय 9—क और 9—ख का लोप.—मूल अधिनियम के अध्याय 9—क और 9—ख का लोप किया जाएगा।

8. धारा 87 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxiii) से (xxxviii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(xxiii) कोई अन्य मामला, जिसके लिए विकास नियन्त्रण और प्राकृतिक परिसंकटोन्मुखी क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों सहित भवन विनियम या उप-विधियां बनाई जा सकेंगी; और

(xxiv) कोई अन्य मामला, जिसके लिए नियम बनाए जा सकेंगे।”।

9. धारा 90 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) उप-धारा (2) के अधीन अधिनियम का निरसन या अध्याय 9—क और 9—ख (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त अध्याय” कहा गया है) का लोप,—

(i) सम्यक् रूप से की गई या भुक्त किसी बात के पूर्ववर्ती प्रवर्तन;

- (ii) अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, प्रत्यायोजन या दायित्व;
- (iii) किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड;
- (iv) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार; और
- (v) ऐसे किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार जो संस्थित, चालू या प्रवर्तित हो सकेगा या ऐसी किसी शास्ति, समपहरण और दण्ड जो अधिरोपित किया जा सकेगा,

को प्रभावित नहीं करेगा मानो उपर्युक्त अधिनियम का निरसन नहीं किया गया था या उक्त अध्यायों का लोप नहीं किया गया था।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधि और न्याय मन्त्रालय (विधायी विभाग) भारत सरकार ने अधिसूचना तारीख 26-3-2016 द्वारा एक अधिनियम नामतः भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम प्रथम मई, 2016 से प्रवृत्त हुआ है। उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के अन्तर्गत भू-सम्पदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के साथ-साथ प्लॉटों, अपार्टमेंटों, भवनों या भू-सम्पदा परियोजनाओं आदि का एक पारदर्शी रीति में विक्रय सुनिश्चित करना भी है। इसके अतिरिक्त, यह भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और त्वरित वाद निवारण के लिए न्यायनिर्णयन तन्त्र स्थापित करने तथा भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण और न्यायनिर्णयन अधिकारी के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण स्थापित करने में लाभदायक होने के साथ-साथ उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए भी लाभदायक है।

वर्तमानतः, संप्रवर्तकों, सम्पदा अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण और कॉलोनियों तथा अपार्टमेंटों आदि का सन्निर्माण हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के अध्याय 9-क और 9-ख के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जा रहा है। तथापि, भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधिनियमित हो जाने के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) से, सम्बन्धित उपबन्धों का लोप करना अनिवार्य हो गया है। योजना अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने और कारबार करना सुविधाजनक बनाने के आशय से, नगर एवं ग्राम योजना विभाग के साथ रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट व्यवसायियों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए अनुज्ञा देने या न देने हेतु अधिकृत करने के लिए उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सरवीण चौधरी)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : , 2018

Bill No. 3 of 2018

**THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING
(AMENDMENT) BILL, 2018**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint and different dates may be appointed for different provisions of the Act.

2. Amendment of long title.—In long title of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as the “principal Act”), the words and signs “and to regulate the construction, sale, transfer and management of apartments, to regulate colonies and provide for registration of promoters and estate agents and for enforcement of obligations on them” shall be omitted.

3. Amendment of section 1.—In section 1 of the principal Act, for the existing subsection (3a), the following shall be substituted, namely:—

“(3A) It shall apply to a real estate project proposed to be developed on an area of more than 2500 M² for plotting or plotting and construction of apartment or any building or buildings having more than eight apartments for the purpose of selling outside the notified planning areas or special areas constituted under this Act and such areas shall be deemed to be planning areas.”.

4. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act,—

(a) in clause (c), the words and signs “However, for the purpose of apartment, building shall mean a building constructed on any land, containing more than eight apartments, or two or more buildings with a total of more than eight apartments or any existing building converted into more than eight apartments” shall be omitted;

(b) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ka) “local authority” means a Municipal Corporation constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) or a

Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994) or the Panchayati Raj Institutions constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994) or the Cantonment Board or any other authority notified by the State Government for the purposes of this Act;”;

(c) after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(ma) “natural hazards” means probability of occurrence, within a specified period of time in a given area, of a potentially damaging natural phenomenon;

(maa) “natural hazard prone areas” means areas likely to have,—

- (i) moderate to very high damage risk zone of earthquakes; or
- (ii) significant flow or inundation; or
- (iii) landslide potential or proneness; or
- (iv) one or more of these hazards;”;

(d) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:—

“(na) “person” includes company, firm, co-operative society, joint family and incorporated body of persons;”;

(e) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:—

“(oa) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;”;

(f) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:—

“(qa) “registered private professional” means the professional registered with the competent authority in the manner, as may be prescribed;”;

(g) clauses (x) to (zv) shall be omitted.

5. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) Every promoter as defined under clause (zk) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, (16 of 2016) shall make an application to the competent authority as notified by the Government for the sanction of the real estate projects and plans thereof in such form and in such manner and accompanied by such fee, as may be prescribed.”.

6. Amendment of section 77.—In section 77 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “such officer”, the sign and words, “, registered private professional”, shall be inserted.

7. Omission of Chapter IX-A and IX-B.—Chapter IX-A and IX-B of the principal Act shall be omitted.

8. Amendment of section 87.—In section 87 of the principal Act, in sub-section (2), for clauses (xxiii) to (xxxviii), the following shall be substituted, namely:—

“(xxiii) any other matter for which Building Regulations or Bye-Laws may be made including the matters relating to the development control and natural hazard prone area; and

(xxiv) any other matter for which rules may be made.”.

9. Amendment of section 90.—In section 90 of the principal Act, for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) The repeal of the Act under sub-section (2) or omission of Chapters IX-A and IX-B (hereinafter referred to as “the said Chapters”) shall not affect,—

- (i) the previous operation of, or anything duly done or suffered;
- (ii) any right, privilege, obligation, delegation or liability acquired, accrued or incurred;
- (iii) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence;
- (iv) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture, or punishment; and
- (v) any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced, or any such penalty, forfeiture and punishment may be imposed,

as if, the aforesaid Act or the said Chapters had not been repealed or omitted.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Ministry of Law and Justice (Legislative Department), Government of India, *vide* Notification dated 26-03-2016 has enacted an Act namely the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016. This Act has come into force with effect from 1st May, 2016. The objectives of the said Act includes the regulation and promotion of the real estate sector and to ensure sale of plots, apartments, buildings or real estate projects etc. in a transparent manner. Further, it is also useful to protect the interests of the consumers in real estate sector and to establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal and also to establish the Appellate Tribunal to hear appeals from the decisions, directions or orders of the Real Estate Regulatory Authority and the adjudicating officer and for matters connected therewith or incidental thereto.

Presently, the registration of Promoters, Estate Agents and construction of Colonies and Apartments etc. are being regulated as per provisions of Chapter-IX-A and IX-B of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977). However, consequent upon enactment of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, it is imperative to omit the related provisions from the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977). In order to streamline the process of planning permission and ease of doing business, it is

proposed to make a provision to authorize private professionals registered with the Town and Country Planning Department to grant or refuse permission, for the areas to be notified by the State Government.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SARVEEN CHOUDHARY)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The....., 2018.

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE CHAMBA, DISTRICT CHAMBA,
HIMACHAL PRADESH**

NOTIFICATION

Dated, the 3rd April, 2018

No.CBA-Peshi-M-47(6)/2017-9130927.—Whereas, the authority of Baira Siul Power Station (NHPC) Surangani Distt. Chamba has intimated that the rehabilitation/strengthening work of the Truss Bridge at Baloo is to be carried out. Therefore, the Baira Siul Power Project Authority has requested to divert the vehicular traffic and impose restriction on all kinds of vehicles *i.e.* LMV, Scooter/ Motorcycle and heavy vehicles to cross/ply over the Baloo Bridge so that the rehabilitation/ strengthening work of the Baloo Bridge is carried out properly.

Therefore, keeping in view the above facts, I, Harikesh Meena IAS, District Magistrate Chamba, in exercise of the powers vested in me under section 115 of the Motor Vehicle Act, 1988 and all other powers enabling me in this behalf, do hereby notify as under:—

1. **That** all kinds of vehicles LMVs, heavy vehicles and Two wheelers *i.e.* Scooters/ Motorcycles *etc.* shall not be allowed to ply/cross over Baloo Bridge (to and fro).
2. **That** all kinds of vehicular traffic *i.e.* Buses, Trucks, tippers Tempos, cars, two wheelers which route *via* Baloo-Sarol towards their destination shall be allowed to ply via Zero Point-Hardaspura-Sarotha Nala-Saal Bridge-Baloo Road. And all kinds of vehicular traffic which route *via* Sarol-Baloo towards their destination such as Saho and Chamba shall be allowed to ply via Baloo-Sal Bridge-Sarotha Nala-Hardaspura-Zero Point-Chamba/New Bus Stand.
3. **That** goods carrying vehicles, medium as well as heavy, such as Trucks, Tippers, Cantors *etc.* shall not be allowed from 7.30 A.M. to 10.30 A.M. and 3.00 P.M. to 6.00 P.M. *via* Zero Point-Hardaspura-Sarotha Nala-Saal Bridge-Baloo Road as well as on Bharmour road (to and fro).
4. **That** the goods carrying vehicles of multi-axle (having more than six tyres) shall only be allowed to be plied *via* Zero Point-Hardaspura-Sarotha Nala-Saal Bridge-Baloo Road as well as on Bharmour road (to and fro) from 10.00 PM to 5.00 AM.